

go a long way in strengthening our national economy and in bringing about a genuine egalitarian society which was the dream of the Father of our Nation."

I request the Government. If it is not possible in this Session itself, at least, in the next Session, we should have a discussion on the recommendations of the Dr. Copal Singh Panel and Government should take immediate steps to implement the recommendations of this Panel.

Lack of Civic amenities for 'Jhuggi' dwellers in Bombay

श्रीमती सुप्रकांता पाटिल : (महाराष्ट्र) : माननीय, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी झुग्गियों को नागरिक सुविधायें प्रदान किये जाने की ऐसी महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो पिछले दस-बारा वर्षों से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सम विचाराधीन हैं किन्तु आज तक भी इस संवध में कोई निर्णय नहीं हो सका है।

21 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आवस मंत्री ने केन्द्रीय मंत्रियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की और केन्द्रीय मंत्रियों के साथ परामर्श के बाद मुख्य मंत्री ने मुंबई हवर्ड ब्रिड्ज के रॉवे को दोनों ओर की भूमि, जहाँ चिड़ियाघरों का खतरा रहता है, तथा रक्षा मंत्रालय की ऐसी भूमि को छोड़कर जहाँ महत्वपूर्ण संस्थान बनाने आवश्यक हो सकते हैं, शेष स्थानों पर बसी झुग्गियों को नागरिक सुविधायें प्रदान करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह भी आश्वासन दिया कि जिस भूमि पर बसी झुग्गियों को नागरिक सुविधायें प्रदान की जायेंगी उस भूमि का किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं किया जायेगा और उस पर स्वामित्व केन्द्र सरकार का ही रहेगा। साथ ही जब भी केन्द्र सरकार को उसकी सही जरूरत होगी तो किसी प्रकार की भी क्षति-भूति का दावा किए बिना वह भूमि केन्द्र को वापस सौंप दी जायेगी।

इसके तहत माननीय रेल मंत्री पहले तो रेल लाइनों के दोनों ओर 50 फीट तक झुग्गियाँ हटा लिए जाने की बात की और बाद में यह दूरी घटा कर 30 फीट कर दी बशर्ते कि महाराष्ट्र सरकार 30 फीट की दूरी पर दीवार बना दें। राज्य सरकार रेल लाइन के दोनों ओर 30 फीट तक झुग्गियाँ तो हटा सकती है और उन्हें 30 फीट की दूरी पर बसा सकती है बशर्ते कि रेल प्रशासन झुग्गी पुनरुत्थान कार्यक्रम के लिए भूमि की लीज कर दे। लेकिन रेलवे की मांग है कि 30 फीट हदबंदी पर दीवार बनाई जाए। और बनने के लिए धन सामान्य योजना से नहीं जुटाया जा सकता। धन जुटाने का काम विश्व बैंक परियोजनाओं और प्रधान मंत्री अनुदान कार्यक्रम से सम्भव हो सकता है लेकिन इसके लिए भूमि पर पट्टा करना होगा जिसके आधार पर ऋण लिया जा सके। यह प्रस्ताव मध्य रेलवे के विचाराधीन है। मुख्य मंत्री महोदय ने इस समस्या पर रेल राज्य मंत्री के साथ विचार किया है। 31 जनवरी, 1989 को आवास सचिव ने रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा रेलवे के महप्रबन्धकों के साथ भी इसकी चर्चा की। उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है। राज्य सरकार का कहना है कि 30 फीट से परे की 12 एकड़ भूमि पर, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रथम चरण के तौर पर काम शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है कि 48 एकड़ भूमि न छोड़ने के अपने पूर्व निर्णय पर वह पुनर्विचार करे।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि जनहित में वह इस समस्या से गंभीरता से विचार कर राज्य सरकार को वहाँ नागरिक सुविधायें प्रदान करने की अनुमति दें।

Red-tapism in Government Companies

श्रीमती सरला माहेश्वरी : (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकारी कम्पनियों में लालफीताशाही की जो बीमारी चल रही है उसके चलते देश को बेइतहा नुक-

श्रीमती सरला माहेश्वरी

साने रहा है उसकी और माननाय सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदया, कई सरकारी कंपनियों के कुछ खास मामलों के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट 23 मार्च 1990 की तिथि के साथ जारी की गई है उससे उभर कर आने वाले अनेक तथ्य सचमुच हमारे लिए चिन्ताजनक हैं।

इस रिपोर्ट में 30 कंपनियों से संबंधित मामलों पर महालेखा परीक्षक ने अपनी राय दी है। इसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि इन 30 कंपनियों के मामलों में करीब 11 कंपनियों से संबंधित मामले ऐसे हैं जिनमें अधिकारियों द्वारा सही समय पर कार्रवाई न करने, अनावश्यक रूप से काम उठाने में विलम्ब करने की वजह माल से संबंधित कंपनियों को भारी नुकसान उठाने पड़े हैं।

भारत कोटा तार लिमिटेड को सिर्फ इसलिए 81 लाख 3 हजार रुपये का नुकसान हो गया क्योंकि उसने टेन्डर पर निर्णय लेने में तो देरी की ही इसके अलावा भारत सरकार की ही एक और संस्था स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने भी उनके निर्णय को अपनी स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब किया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इसलिए 103.96 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने दूरबीनों के कांच को बनाने में आने वाली लागत के मामले में गवती करने के साथ ही साथ सौदे के क्रियान्वहन में भी अनावश्यक रूप से विलम्ब किया।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि. को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसकी एक इकाई ने अपने उत्पादन का प्रारम्भ करने में पूर्व कल्पित समय से लगभग एक साल ज्यादा ले लिया। इस वजह से राज्य उद्योग विभाग से विजली की दरों में उसे जो 25 प्रतिशत की रियायत मिलती वह नहीं मिल पाई।

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने सुपीरियर केरोसीन तेल तथा फनिश आमल के आयात के भंडार को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में देरी कर दी जिसके चलते उन्हें समय बेचा नहीं जा सका और इसके लिए उन्हें 16.75 लाख रुपये ध्याज का नुकसान हो गया। कमोवेश इसी प्रकार की कहानियां भारतीय पर्यटन विकास निगम लि., इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा, नेशनल फर्टीलाइजर्स लि., नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन (डीपीआर) लि., आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन (ओ.एन.जी.सी.), टी. ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा "दी मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लि." की भी हैं।

इसके अलावा लागत की राशियों को सही ढंग से न कतना, खरीदी गई सामग्रियों का उपयोग न करना, खरीद-दारी में सही निर्णय न लेना आदि की बीमारियां तो हैं ही। इसके अलावा एक और जो चौकाने वाली बात है वह है विदेशी ठेकों अथवा वाणिज्य में किया जाने वाला बेइतहा नुकसान। "इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि." ने इराक और इरान में अपने सिर्फ आठ प्रकल्पों में कुल 120 करोड़ 56 लाख 10 हजार रुपये का नुकसान किया। अभी इस कंपनी के अन्य प्रकल्पों से संबंधित कई मामलों पर सुलह होनी बाकी हैं। उनके पूरा होने पर यह नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार "दी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि." ने एक विदेशी कंपनी के साथ वाणिज्य में 9.7 लाख रुपये का नुकसान उठाया। एक दूसरी विदेशी कंपनी को चाय की आपूर्ति करके 64.61 लाख रुपये का नुकसान उठाया। लीबिया को चाय निर्यात करके सही गुणवत्ता को न बनाये रखने और ठीक समय पर आपूर्ति न कर पाने के कारण दो वर्षों में 29.6 लाख रुपये का नुकसान उठाया गया। इरान को अक्टूबर 1983 ने चाय का निर्यात करके 53-78 लाख रुपये का नुकसान उठाया। इसके पहले भी एच.एस.सी.एल. के बारे में महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की रोशनी में ही मैंने अपने विशेष उल्लेख के प्रस्ताव में इस और सदन का ध्यान दिलाया था कि किस तरह

मध्यपूर्व के देशों इरान, इराक, लीबिया में काम करके इस कंपनी ने भारी नुकसान उठाया है। इन तमाम तथ्यों की रोशनी में मेरा सबसे पहला सवाल तो यह है कि इन तमाम सरकारी संस्थाओं में जो लाल फीतावाही दीमक की तरह लगी हुई है, जो हमारी राष्ट्रीय क्षमताओं और संसाधनों को चाट रही है उससे निपटने के लिए सरकार कौन-सी योजनाएँ बना रही है? क्या महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट छपे हुए कामजों का ढेर इकट्ठा करने के लिए ही होती है या वास्तव में उन पर कोई असल भी होता है ?

दूसरा सवाल यह है कि क्या मध्यपूर्व के कुछ देशों की कंपनियों अथवा वहाँ के कुछ अधिकारियों के साथ हमारे सरकारी क्षेत्र के नौकराहों के किसी खास तबके की कुछ ऐसी संदेहास्पद सॉट-गॉट कायम हो गई है कि जिसके कारण हमारी सरकारी संस्थाएँ जब भी इन देशों में कोई वाणिज्यिक या निर्माण संबंधी कोई सौदा करती हैं तो उससे नुकसान की भरपाई के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। क्या सरकार इस प्रकार के दुष्कर को अनावृत्त करके हमारे देश को होने वाले इस भयानक नुकसान से बचाव दिखानगी ?

Strike by Government Employees in Jammu and Kashmir

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Madam, through you, I would invite the attention of Government of India to the fact that at out 1 lakh 50 thousand Government servants in Jammu and Kashmir are on strike for the last over 20 days. The strike has been called because of dismissal of five high ranking Government officials without any inquiry.

0.1 2nd of October, when the nation was observing the birthday of Mahatma Gandhi, the apostle of peace who' led us to freedom, we had a strike which entered the twentieth day in the State of Jammu and Kashmir. Dismissal of

Government servants without any inquiry and without any charge-sheet is absolutely against the rules which are prevalent in the State. Therefore, the responsibility for the consequences lies squarely on the Government which created this condition.

On that very day — the 2nd of October — whereas on the one hand this situation prevailed, on the other hand, five hundred houses and shops were gutted in Hindwara town. The town, at best, consists of some seven hundred houses. About five hundred houses, including shops, have been gutted, hundreds of people have been rendered homeless and property worth lakhs of rupee's has been destroyed in this fire. Livestock has also been destroyed. The people are suffering very badly.

I, therefore, call upon the Government, through you, Madam, to see that the five high ranking Government servants, dismissed without any inquiry, should be reinstated immediately. In case there is anything against them, action against them should be taken under the Classification (Control and Appeal) Rules, 1956, which are prevalent in the State of Jammu and Kashmir. The people who have suffered in the devastating fire on 2nd of October in the town of Hindwara should be given all necessary help to re-build 2.00 P.M. their houses. Moreover, their property which has been lost in this fire should be compensated for because the Government failed to save the people from the devastating fire. Furthermore, the next of kin of all the persons who have lost their lives in that devastating fire should be compensated. A high-level inquiry should be held by a sitting Judge of the Supreme Court to find out the causes which led to that fire which caused such a vast damage and such a great misery to the people of that town.

Thank you, Madam.

—